न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री परसा राम आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 63 / 2025 — GCMS NO-2025/71

प्रार्थी

प्रवीण चौधरी,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

बनाम

अप्रार्थी

1. खेतसिंह पुत्र श्री सादुल सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी बीसू कला, तह. शिव जिला बाड़मेर(मालिक / विक्रेता) मैसर्स गोल्डन हेन्डलूम मैन रोड़ फतेहगढ़ जैसलमेर। मो0 9928150433
2. रूपसिह पुत्र श्री पाबुसिंह उम्र 23 वर्ष निवासी फतेहगढ़ जिला जैसलमेर (मालिक / विक्रेता) मैसर्स गोल्डन हेन्डलूम मैन रोड़ फतेहगढ़ जैसलमेर। मो0 9928150433

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011
उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी 01 एवं 02 उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक: 15.10.2025

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.12.2024 को दोपहर 03.30 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स गोल्डन हेन्डलूम मैन रोड़ फतेहगढ़ जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स गोल्डन हेन्डलूम मैन रोड़ फतेहगढ़ जैसलमेर पर श्री खेतसिंह पुत्र श्री सादुल सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी बीसू कला, तह. शिव जिला बाड़मेर (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खादय अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर काजू(लूज)रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात काजू(लूज) 01 किलोग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 1100/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा काजू(लूज)को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–2100 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–2100 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–2100 काजू(लूज)लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को प्रवीण चौधरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 09.12.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 04.12.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 02 एवं 492–94 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1841/Act/2024/1887 दिनांक 16.12.2024 अनुसार उक्त नमूना असुरक्षित एवं अमानक एवं मैसूर से प्राप्त रिपोर्ट रेफरल सर्टिफिकेट नंबर 652 /एफ /एफएसएसए /2005 दिनांक 17.06.2025 से उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए /2025/स्वीकृति/एन–2100/ दिनांक के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री खेतसिंह पुत्र श्री सादुल सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी बीसू कला, तह. शिव जिला बाड़मेर (विक्रेता) मैसर्स गोल्डन हेन्डलूम मैन रोड़ फतेहगढ़ जैसलमेर 2. रूपसिह पुत्र श्री पाबुसिंह उम्र 23 वर्ष निवासी फतेहगढ़ जिला जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स गोल्डन हेन्डलूम मैन रोड़ फतेहगढ़ जैसलमेर के द्वारा सबस्टेण्डर्ड काजू(लूज) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी सं. 01एवं 02 उपस्थित। अप्रार्थी 01 एवं 02 से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्राथी 01 एवं 02 ने जिस अवस्था में खाद्य पदार्थ का क्रय केटीसी ड्राइफ्रूट बाड़मेर से खरीदा था उसका बिल संलग्न है। मेरी गलती यह रही कि मेरे द्वारा बडी बाल्टी 10 किलोग्राम की खरीदी गई थी जिसको विक्रय हेतु खोल रखा थी। हमारे दुकान में 1किलोग्राम या आधा किलोग्राम के ग्राहक आते है। इस कारण 10 किलोग्राम की बाल्टी को लूज वनाकर वेचना पड़ता है। इस संबंध में मेरे द्वारा जानबूझकर गलत कृत्य नहीं किया गया है। और न ही भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी हैर फैर किया जाएगा। अतः भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा जिससे कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। अतः निवेदन की मुझ प्रार्थी के विरूद्ध वाद को निरस्त फरमावें एवं कम से कम पैनल्टी भरवाकर प्रकरण निरस्त किया जावें।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

3. प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अधिक से अधिक पैनल्टी लगाने का निवेदन किया। अप्रार्थी 1 एवं 2 ने अपने लिखित जवाब को ही बहस बताते हुए कम से कम पैनल्टी लगाकर प्रकरण निरस्त करने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./1841/Act/2024/1887 दिनांक 16.12.2024 अनुसार उक्त नमूना असुरक्षित एवं अमानक एवं मैसूर से प्राप्त रिपोर्ट रेफरल सर्टिफिकेट नंबर 652 /एफ /एफएसएसए /2005 दिनांक 17.06.2025 सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने के हेतु मनन किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए है उसको मध्य–नजर रखते हुए न्यायहित में शास्ति आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शास्ति अधिरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी संख्या 01से 02 पर संयुक्त रूप से शास्ति राशी 5000/– पांच हजार अक्षरे रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित समयावधि में शास्ति शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसा राम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

दिनांक 17.10.2025

क्रमांकःकोर्ट/2025/1980-82

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
2. खेतसिंह पुत्र श्री सादुल सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी बीसू कला, तह. शिव बाड़मेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स गोल्डन हेन्डलूम मैन रोड़ फतेहगढ़ जैसलमेर। मो0 9928150433
3. रुपसिह पुत्र श्री पाबुसिंह उम्र 23 वर्ष निवासी फतेहगढ़ जिला जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स गोल्डन हेन्डलूम मैन रोड़ फतेहगढ़ जैसलमेर। मो0 9928150433

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर